186

CONC. CASE NO. 6672/2023

BEFORE THE HON`BLE HIGH COURT OF M.P.

BENCH AT INDORE

PETITIONER M.P. Patwari Sangh through Mohan Rathore

V/s

RESPONDENTS Shri Manish Rastogi & Ors.

INDEX

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Compliance report on behalf of the answering respondents.	1-3
2.	Affidavit of respondent.	4
3.	**ANNEXURE R/1**. Copy of order dated 14.03.2024.	5-8
4.	~~Vakalatnama~~	

INDORE

DATED : 26-3-24

SUBMITTED BY

NOTARY R.K. SHARMA Reg. No. 3803 BHOPAL (M.P.) INDIA VALID TILL 11 JAN 2027 Advocate & Notary GOVT. OF INDIA

Counsel for the respondent

[Nikunj Srivastava]
Principal Secretary,
Revenue Department,
Vallabh Bhawan Bhopal (MP). &
Respondent No. 1

CONC. CASE NO. 6672/2023

BEFORE THE HON`BLE HIGH COURT OF M.P.
BENCH AT INDORE

PETITIONER M.P. Patwari Sangh through Mohan Rathore

V/s

RESPONDENTS Shri Manish Rastogi & Ors.

COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF RESPONDENTS.

It is respectfully submitted on behalf of the answering respondents as here under: -

1/ That, the petitioner has filed the present petition being aggrieved by the non-compliance of the order dated 23.06.2021 passed in W.P. No. 10729/2021. That, the Hon'ble Court while passing the order dated 23.06.2021 has ordered as under:-

> ***"Hence, without commenting upon the merits of the matter, the writ petition is disposed of with a direction to the petitioner to file a fresh representation along with all relevant documents before the concerned respondent/respondent No.2 within a period of one week and the respondent No.2 is also directed to decide the petitioner's fresh representation in accordance with law by passing a reasoned and speaking order within a further period of three months."***

NOTARY R.K. SHARMA Reg.No. 3803 BHOPAL(M.P.)INDIA VALID TILL 11 JAN 2027 Advocate & Notary GOVT. OF INDIA

(Manoj Kumar Srivastava)
Principal Secretary
Government of Madhya Pradesh
Revenue Department

2/ That, at very outset the answering respondents tender their unconditional apology for the delay that is being caused in ensuring due compliance. It is further most respectfully submitted that the delay caused in compliance of the Court order is not intended. The answering respondents have utmost respect for any order passed by the Hon`ble Court and have never intended to disobey any court order.

3/ That, in compliance of the aforesaid order the answering respondents decided the representation preferred by the petitioner, Patwari Sangh and an appropriate speaking order had been issued on 14.03.2024 by the Principal Secretary, Revenue Department, Bhopal whereby the representation preferred by the petitioner, Patwari Sangh has been rejected. Copy of orders dated 14.03.2024 is annexed herewith and is marked as **ANNEXURE R/1**.

NOTARY R.K. SHARMA Reg.No. 3803 BHOPAL(M.P.)INDIA VALID TILL 11 JAN 2027 Advocate & Notary GOVT. OF INDIA

4/ That, it is humbly submitted that Shri Manish Rastogi, the then Principal Secretary, Revenue Department who is arrayed as respondent No. 1, has been transferred elsewhere and presently, I, Nikunj Srivastava is discharging the duties in the capacity of Principal Secretary, Revenue Department, M.P. Bhopal. Aforesaid position may kindly be taken on record.

(Nikunj Kumar Srivastava)
Principal Secretary
Government of Madhya Pradesh
Revenue Department

5/ That, the answering respondents crave unconditional apology of this Hon'ble Court for the inconvenience caused and for the action on part of the respondents. The actions are only *bona-fide* in nature which is procedural with no intention of causing any disrespect to the honour and dignity of this Hon'ble Court.

6/ That, on the basis of the aforementioned factual position and submissions made under this compliance report aforesaid report may kindly be taken on record. It is, therefore most respectfully submitted that as due compliance of directions of Hon`ble High Court order as per rules has been ensured in the matter, the contempt proceedings initiated against the answering respondents may kindly be dropped and the instant petition may kindly be dismissed in the interest of justice.

NOTARY R.K. SHARMA Reg.No. 3803 BHOPAL(M.P.) INDIA VALID TILL 11 JAN 2027 Advocate & Notary GOVT. OF INDIA

PRAYER

It is most respectfully prayed that this Compliance Report may kindly be taken on record and be allowed and petition may kindly be dismissed in the interest of justice.

An affidavit in support is filed herewith.

INDORE
DATED : 26-3-24

SUBMITTED BY

[Nikunj Srivastava]
Principal Secretary,
Revenue Department,
Vallabh Bhawan Bhopal (MP). &
Respondent No. 1

Counsel for the respondent

(4)

CONC. CASE NO. 6672/2023

BEFORE THE HON`BLE HIGH COURT OF M.P.

BENCH AT INDORE

PETITIONER M.P. Patwari Sangh through Mohan Rathore

V/s

RESPONDENTS Shri Manish Rastogi & Ors.

AFFIDAVIT IN SUPPORT OF COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF RESPONDENTS.

I, state on oath as under :-

NAME	: Nikunj Srivastava
S/O	: Shri Satya Narayan Lal
AGE	: 51 years
OCCUPATION	: Principal Secretary,
ADDRESS	: O/o Revenue Department, Vallabh Bhawan, Bhopal (MP).

I, further state on oath as under:-

1/ That I am the respondent No. 1, Principal Secretary, Revenue Department, Vallabh Bhawan Bhopal and am authorized to file compliance report on behalf of the respondents and am well conversant with the facts of the case. I have filed the aforesaid compliance report before this Hon'ble Court and same is signed by me.

2/ That the contents of the aforesaid compliance report are true to my information derived from official records. Nothing stated therein is false and nothing has been concealed.

NOTARY R.K. SHARMA Reg.No. 3803 BHOPAL (M.P.) INDIA VALID TILL 11 JAN 2027 Advocate & Notary GOVT. OF INDIA

DEPONENT

(Nikunj Kumar Srivastava)
Principal Secretary
Government of Madhya Pradesh

VERIFICATION

I, the deponent above named solemnly affirm on oath that the contents of this affidavit are true to my personal knowledge, nothing stated therein is false and nothing has been concealed. Same is signed by me at Bhopal

DEPONENT

26 MAR 2024

(Nikunj Kumar Srivastava)
Principal Secretary
Government of Madhya Pradesh
Revenue Department

NOTARY REGN
No. 78 Date 26.3.24

IDENTIFIED BY ME
NAME AKASH BHUMANIYA
ADDRESS Piplani BHEL
SIGNATURE Akash

SWORN BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED

R.K. SHARMA
ADVOCATE & NOTARY
Opp. Old Vidhan Sabha Bhopal

26 MAR 2024

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय

Annex R/1

(5)

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 14 /03/2024

क्रमांक आर 244/1505/2021/सात-5, मध्यप्रदेश पटवारी संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर में याचिका क्रमांक 10729/2021 दायर की गई थी। जिसमें दिनांक 23.06.2021 को माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है। जिसका ऑपरेटिंग पैरा निम्नानुसार है :-

Hence, without commenting upon the merits of the matter, the writ petition is disposed of with a direction to the petitioner to file a fresh representation along with all relevant documents before the concerned

respondent/respondent No.2 within a period of one week and the respondent No.2 is also directed to decide the petitioner's fresh representation in accordance with law by passing a reasoned and speaking order within a further period of three months.

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23/06/2021 तथा पटवारी संघ के अभ्यावेदन दिनांक 28/06/2021 के अनुक्रम में पटवारी संघ को सुनवाई/ चर्चा हेतु अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के समक्ष दिनांक 29.09.2021 को आहूत किया गया था।

मध्यप्रदेश पटवारी संघ द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में कारण सहित मांगों का सार निम्नानुसार है :-

1. वेतनमान, समयमान, भत्ते एवं पदोन्नति संबंधी -

1.1 पटवारियों का मूलवेतन छठवें वेतन आयोग के अनुसार 2100 ग्रेड पे के स्थान पर 2400 ग्रेड पे किया जाना-पटवारियों का वर्तमान में मूल वेतन 5200-20200+2100 (सातवें वेतनमान अनुसार लेवल 5) है। पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में पटवारी की शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं सीपीसीटी की गई है किन्तु पटवारी का वेतनमान उन्नयन नहीं किया गया है जबकि राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार के भी वेतनमान उन्नयन आदेश जारी किये जा चुके हैं। पटवारी की वर्तमान योग्यता, बहुआयामी कार्यों को देखते हुए उनके समकक्ष पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के समान वेतनमान 2400 ग्रेड पे (सातवें वेतनमान अनुसार लेवल 6) किया जाना चाहिए।

NOTARY
R.K. SHARMA
Reg.No. 3803
BHOPAL(M.P.) INDIA
VALID TILL 11 JAN 2027
★Advocate & Notary★
GOVT. OF INDIA

1.2 समयमान वेतनमान पटवारियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान क्रमशः 5200-20200+2400 (सातवें वेतनमान अनुसार लेवल 6), 5200-20200+2800 (सातवें वेतनमान अनुसार लेवल 7) एवं 9300-34800+3200 (सातवे वेतनमान अनुसार लेवल 8) दिया जाता है जोकि विसंगति पूर्ण एवं अनुचित है, यह विसंगति केवल पटवारी पद पर ही है। इसे बढाकर प्रथम समयमान राजस्व निरीक्षक के समकक्ष 5200-20200+2800 (सातवें वेतनमान अनुसार लेवल 7), द्वितीय समयमान नायब तहसीलदार के समकक्ष 9300-34800+3600 (सातवें वेतनमान अनुसार लेवल 9) एवं तृतीय समयमान तहसीलदार के समकक्ष 9300-34800+4200 (सातवें वेतनमान अनुसार लेवल 10) किये जाने की मांग की गई है।

1.3 भत्ता पटवारी को मूल वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते के रूप में 1558 रुपये (गृहभत्ता-258+यात्रा भत्ता-300 + स्टेशनरी-1000) प्राप्त होते हैं। इस राशि का उन्नयन करते हुए यात्रा भत्ता अथवा पेट्रोल भत्ता कम से कम 3000 रुपये, डाटा भत्ता के रूप में 1000 रुपये, कार्यालय भत्ता के रूप में 2000 रुपये दिए जाने की मांग की गई है।

1.4 पदोन्नति- पटवारियों द्वारा पदोन्नति के संबंध में यह मांग रखी गई है कि वर्ष 2018 में बनाये गये पदोन्नति के नियमों के तहत कार्यवाही की जाये।

1.5 गृह जिला में स्थानांतरण पटवारी संघ द्वारा वर्ष 2018 में नियुक्त पटवारियों को गृह जिले में स्थानांतरण हेतु मांग की गई है।

1.6 नवीन पटवारियों की सी.पी.सी.टी परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त किया जाना-मध्यप्रदेश पटवारी संघ द्वारा नवीन पटवारियों की सीपीसीटी परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त करते हुए वेतन वृद्धि का आर्थिक लाभ प्रदान किए जाने की मांग की गई है।

2. प्रस्तुत मांगों पर समग्र रूप से विचार किया गया। समग्र विचारोपरांत विभिन्न मांगों पर स्थिति निम्नानुसार है :-

2.1 पटवारी संवर्ग का प्रारंभिक वेतनमान (छठवें वेतनमान के अनुसार) 5200- 20200+2100 (सातवे वेतनमान अनुसार लेवल 5) वर्ग-स में कार्यरत समकक्ष पदों के समान ही है। पटवारी संवर्ग की मांग अनुसार प्रारंभिक वेतनमान 2400 रुपये ग्रेड पे (छठवें वेतनमान अनुसार) के संबंध में अन्य समकक्ष संवर्गों के वेतनमान का आंकलन किया जाना अनिवार्य है। राज्य शासन द्वारा इस प्रकार की मांगों के समग्र परीक्षण के लिये राज्य कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है। अतः किसी एक संवर्ग विशेष का वेतनमान राज्य कर्मचारी आयोग द्वारा परीक्षण के बिना परिवर्तित किया जाना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रभाव अन्य संवर्गों पर भी पड़ता है, तथा ऐसा किया जाने से अन्य संवर्गों से भी वेतनमान पुनरीक्षण की मांग आना स्वाभाविक होगा।

2.2 जहां तक पटवारियों को दिये जा रहे समयमान वेतनमान का प्रश्न है, इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 177/1516/2020/नियम/चार दिनांक 02/02/2020 के अनुसार वर्ग-स के जिन पदों का प्रारंभिक वेतनमान ग्रेड पे 2100 रुपये है, उन्हें प्रथम समयमान ग्रेड पे 2400 रूपये दिया जा रहा है। यह समयमान इस ग्रेड पे के अन्य संवर्गों को दिये जा रहे संवर्ग के समान है अतः इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

2.3 पटवारी संघ की भत्ते की मांग के संबंध में इनके कार्यों एवं अन्य आवश्यकताओं के आधार पर अन्य संवर्गो द्वारा इस प्रकार के कार्यो को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2018 में भत्तों में वृद्धि की गई थी अतः इस संवर्ग को दिये जा रहे विभिन्न भत्तों में वृद्धि का औचित्य प्रतीत नहीं होता।

2.4 पटवारी की पदोन्नति राजस्व निरीक्षक के पद पर की जाती है। पटवारी की पदोन्नति के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर पदोन्नति की व्यवस्था की गई है। मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग का पत्र क्रमांक एफ 13-2/1986/सात/4बी भोपाल दिनांक 09.07.2018 द्वारा पटवारी से राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के संबंध में नियम भी बनाए गए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय में राज्य शासन के कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में विचाराधीन प्रकरण के निराकरण उपरांत पदोन्नति के संबंध में आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।

2.5 मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा पटवारियों को गृह जिले अथवा चाहे गए जिले में संविलियन के माध्यम से पदस्थापना हेतु संविलियन नीति जारी की जाती रही है। पटवारी संविलियन नीति, वर्ष 2021 दिनांक 16.07.2021 के अनुसार पटवारी की पदस्थापना गृह जिले (गृह तहसील को छोड़कर) में करने का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2021 में जारी की गई नीति के अन्तर्गत 544 पटवारियों का संविलियन उनके द्वारा चाहे गए जिले में किया गया है।

2.6 नवीन पटवारियों के चयन से पूर्व ही मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल का पत्र क्रमांक एफ-13-2/1986/सात-4बी दिनांक 13-11-2017 द्वारा CPCT परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता का उल्लेख किया गया है। कोरोना महामारी के चलते सी.पी.सी.टी उत्तीर्ण करने के संबंध में आयुक्त भू-अभिलेख के पत्र क्र1225/स्था. एक/पटवारी/30409/ 2020 ग्वालियर दिनांक 04.08.2020 द्वारा पटवारियों को उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि प्रदान की गई है।

ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 मे पटवारी के 19163 पदो के विरुद्ध 9235 पदो पर पटवारियों की नियुक्ति हुई है। इन पदो पर आवेदनकर्ता समस्त अभ्यर्थियों को पटवारी के प्रारंभिक वेतनमान, भत्ते, शैक्षणिक योग्यता आदि के बारे में स्पष्ट जानकारी थी। उक्त सभी मापदण्डों के होते हुए भी नियुक्ति स्वीकार करना अभ्यर्थियों की स्वीकृति को प्रदर्शित करता है।

NOTARY
OF INDIA

राज्य शासन द्वारा विभिन्न संवर्गों की मांगों/वेतन विसंगतियों पर समग्र रूप से विचार करने हेतु राज्य कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है। मध्यप्रदेश पटवारी संघ की मांगो के अनुक्रम में उनका ज्ञापन राज्य कर्मचारी आयोग को प्रेषित किया गया है। राज्य कर्मचारी आयोग द्वारा उनकी तथा अन्य संवर्गों की मांगों तथा दावों पर समग्र रूप से विचार कर राज्य शासन को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

अतः मध्यप्रदेश पटवारी संघ की मांगों के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन को पूर्ण विचारोपरान्त अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(निकुंज कुमार श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल, दिनांक 14 /03/2024

पृष्ठांकन 245 /1505/2021/सात-5,

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, राजस्व विभाग।
2. आयुक्त, भू-अभिलेख म0प्र0 ग्वालियर।
3. प्रान्ताध्यक्ष, मध्यप्रदेश पटवारी संघ, कार्यालय एफ-2 सहयाद्री परिसर फेस-2, भदभदा रोड, भोपाल मध्यप्रदेश।
4. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग